संशोधित सार्वजनिक सूचना
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा

एससीओ सं. 68–70, सैक्टर–17ए, चण्डीगढ़
दूरभाष : 0172–2703522, 2714614
Email : sje@hry.nic.in

वर्ष 2016–17 के लिए अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक फ्रैश/रिन्यूवल छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आमंत्रित है, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि : 11 वीं तथा 12वीं कक्षा 31 अगस्त, 2016 तथा उच्च शिक्षा जैसे कि स्नातक या स्नातकोत्तर, आई0टी0आई0, डिप्लोमा, बी0एड0, एम0फिल, पी0एच0डी0 31 अक्तूबर, 2016

केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों नामतः मुस्लिम, सिक्ख, बौद्ध, ईसाई, जैन एवं पारसी से संबंधित विद्यार्थियों से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए सरकारी/गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल/ संस्थान में इंडस्ट्रीयल सैंटर (एनसीवीटी के साथ संबंद्ध) के वोकेशनल/टैक्निकल कोर्स सहित कक्षा 10+1 से पीएचडी तक की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

मैरिट–कम–मिन्स छात्रवृति योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट कोर्स के अतिरिक्त अन्य कोर्से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के अधीन आवेदन करेंगे।

छात्रवृत्ति हेतु शर्तें

1 छात्र/छात्राएं **हरियाणा राज्य का निवासी** हो ।
2 छात्र/छात्राओं के माता–पिता अथवा अभिभावकों की सभी स्त्रोतों से **वार्षिक आय रूपये दो लाख से अधिक न** हो।
3 छात्र /छात्राओं द्वारा पूर्व परीक्षा में **50% अंक** प्राप्त करने उपरान्त छात्रवृत्ति निरन्तर रखी जाएगी ।
4 आयकर प्रमाण पत्र तथा अल्पसंख्यक समुदायों का प्रमाण– पत्र प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट **(एस0डी0एम/तहसीलदार या स्वयं तथा माता–पिता/अभिभावक द्वारा प्रमाणित** हो) जारी होना चाहिये अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।
5 ऑनलाईन आवेदन करने के लिए **आधार नम्बर अनिवार्य** है, इसलिए विद्यार्थियों को उनके आधार कार्ड बनाने के लिए परामर्श दिया जाता है ।
6 विद्यार्थी को ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अपना स्वयं का बैंक खाता संख्या भरना होगा एवं **बैंक खाता आधार संख्या से जुडा हुआ** होना चाहिए।(इस सम्बन्ध में अपने बैंक की शाखा से सम्पर्क करें)
7 छात्रवृत्ति एक परिवार के दो विद्यार्थियों से अधिक को नहीं दी जाएगी ।
8 इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति धारक इस कोर्स को करने के लिए कोई भी अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा प्राप्त नहीं कर सकता।
9 भारत सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार छात्रवृति की राशि सीधे तौर पर छात्रों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जायेगी (**डी0बी0टी माध्यम)**
10 प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदायों में **लडकियों के लिये 30%** छात्रवृत्ति आरक्षित है। छात्रवृति की विभाजन तालिका नीचे दी गई है:–

मुस्लिम		सिक्ख		ईसाई		जैन		पारसी		बौद्ध	
लक्ष्य	30% लड़कियां	लक्ष्य	30% लड़कियां	लक्ष्य	30% लड़कियां	लक्ष्य	30% लड़कियां	लक्ष्य	30% लड़कियां	लक्ष्य	30% लड़कियां
3157	947	3022	906	70	21	148	44	2	0	18	5

छात्रवृत्ति दर

क्र0 सं0	मद	हॉस्टलर	डे–स्कॉलर
1.	कक्षा XI सेXII तक दाखिला एवं ट्यूशन शुल्क	वास्तविक या अधिकतम रू0 7000/– प्रतिवर्ष	वास्तविक या अधिकतम रू0 7000/– प्रति वर्ष
2	कक्षा XI सेXII स्तर के तकनीकी एवं वोकेशनल कोर्स के लिए दाखिला एवं कोर्स/ट्यूशन शुल्क(ये सामग्री इत्यादि के लिए शुल्क/चार्ज सम्मिलित)	वास्तविक या अधिकतम रू0 10000/– प्रतिवर्ष	वास्तविक या अधिकतम रू0 10000/– प्रतिवर्ष
3	अंडर ग्रैजुएट एवं पोस्ट ग्रैजुएट के लिए दाखिला एवं ट्यूशन शुल्क	वास्तविक या अधिकतम रू0 3000/– प्रतिवर्ष	वास्तविक या अधिकतम रू0 3000/– प्रतिवर्ष
4	अकादमिक वर्ष में केवल 10माह के लिए रख–रखाव भत्ता (शिक्षा सामग्री इत्यादि के लिए खर्च सम्मिलित)		
	(i) इस स्तर के तकनीकी एवं वोकेशनल कोर्स सहित कक्षा XI सेXII हेतु	रू0 380/–प्रतिमाह	रू0 230/–प्रतिमाह
	(ii) तकनीकी एवं प्रोफेशनल कोर्स को छोड़कर अंडर ग्रैजुएट एवं पोस्ट ग्रैजुएट कोर्स हेतु ।	रू0 570/–प्रतिमाह	रू0 300/–प्रतिमाह
	(iii) एफ.फिल एवं पी.एच.डी. हेतु (उन शोधकर्ताओं के लिए, जिन्हें विश्वविद्यालय अथवा किसी भी अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई भी फैलोशिप प्रदान नहीं की गई है)	रू0 1200/–प्रतिमाह	रू0 550/–प्रतिमाह

आवेदन कैसे करें:

1 **केवल ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किए जाएगें** एवं ऑफ लाईन आवेदन रद्द कर दिए जाएगें। विद्यार्थी, जो अन्य राज्यों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वह हरियाणा राज्य के निवासी हैं, भी ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं ।
2 विद्यार्थियों को वेबसाईट **www.scholarships.gov.in** पर उपलब्ध पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) नियमों एवं शर्तों को ऑनलाईन आवेदन भरने के लिए परामर्श दिया जाता है।
3 नये और नवीकरण के मामलों में छात्रों द्वारा आवेदन पत्रों के दस्तावेजों (पूर्व फाईनल परीक्षा प्रमाण पत्र, आयकर प्रमाण पत्र एवं अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण पत्र, बैक पासबुक, पैन कार्ड एवं आधार नं0 की प्रति)को आनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है। अपलोड दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन आवेदनों की स्कूटनी चयनिक कार्यप्रवाह के अनुसार संबधित संस्थान/जिला/राज्य के द्वारा किया जाएगा।
4 नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त आनलाईन या डाक द्वारा भेजे गये आवेदनों पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी।
5. छात्र/छात्रा आनलाईन आवेदन करते समय केवल एक स्कीम के अंतर्गत ही आवेदन करेगा।
अधिक विवरण के लिए **www.minorityaffairs.gov.in**एवं **www.scholarships.gov.in**

निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग